मिसिल सं0 बिहार -01/विकास/2006-आर.यू.III

श्री शम्भू नाथ पुत्र स्व0 श्री भागीरथी प्रसाद, ग्राम+पोस्ट+थाना-आन्दर, जिला- सीवान (बिहार) की पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा करने संबंधी प्राप्त शिकायत के संबंध में आयोग के माननीय सदस्य, श्री भेरू लाल मीणा के समक्ष दिनांक 19-06-2014 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित :-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(1) श्री भेरू लाल मीणा, सदस्य
(2) श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक
(3) श्री एच. आर. मीना, वरिष्ठ अन्वेषक
(4) श्री रिछपाल सिंह, परामर्शक

राज्य शासन बिहार

(1) श्री एच.एस. मीना, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार
(2) श्री आलोक राज, विशेष सचिव (गृह)
(3) श्री संजय कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, सीवान
(4) श्री विवेक कुमार, पुलिस अधीक्षक, सीवान

आवेदक

(1) श्री शम्भू नाथ स्व0 श्री भागीरथी प्रसाद, ग्राम+पोस्ट+थाना-आन्दर, जिला-सीवान (बिहार)

पृष्ठभूमि

1. उपरोक्त लिखित के संदर्भ में आयोग की पहली बैठक माननीय श्री मोरिस कुजुर, उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 18-04-2011 को हुई थी जिसका कार्यवृत्त अनुबंध-I पर है। कार्यवृत्त के संदर्भ में आवेदक आयोग को लगातार अभ्यावेदन भेजता रहा है जिन पर आयोग द्वारा पत्राचार बिहार राज्य शासन के साथ किया जाता रहा है। राज्य शासन से उचित जवाब प्राप्त नहीं होने पर इसी प्रकरण में दूसरी बैठक माननीय सदस्य, श्री भेरू लाल मीणा की अध्यक्षता में दिनांक 19-06-2014 को बिहार सरकार के प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार

5/8/2014

(BHERU LAL MEENA)
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

विभाग के साथ हुई बैठक में चर्चा के दौरान मामले की पहले की स्थिति पेर (पृष्ठभूमि) बात चीत की गयी जो इस प्रकार है-

श्री शम्भू नाथ ने दिनांक 15-12-2006 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उनकी पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में उपरोक्त शिकायत पत्र भेजा। आयोग ने पत्र दिनांक 21-12-2006 द्वारा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीवान, बिहार से संबंधित मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मामले में कलेक्टर को अनुस्मरण पत्र दिनांक 21-02-2007, 20-03-2007 एवं 16-05-2007 भेजे गए। समाहर्ता, सीवान ने पत्र क्रमांक 1097/रा0 दिनांक 28-06-2007 द्वारा अंचल अधिकारी, आन्दर से प्राप्त रिपोर्ट भेजी। उक्त प्राप्त रिपोर्ट को आवेदक श्री शम्भू नाथ को समसंख्यक पत्र दिनांक 16-08-2007 को सूचनार्थ भेजा गया। श्री शम्भू नाथ ने उक्त रिपोर्ट पर खण्डन पत्र दिनांक 26-12-2007 आयोग को भेजा। तदोपरान्त मामले में हुए पत्राचार की प्रतिलिपियाँ व प्राप्त उत्तर से प्रार्थी को समय-समय पर सूचित किया गया। समाहर्ता, सीवान द्वारा उनके पत्र दिनांक 28-06-2008 के द्वारा आयोग को अंचल अधिकारी, आन्दर जिला सीवान एवं दिनांक 23-02-2011 को रिपोर्ट पर प्रार्थी के द्वारा भेजे गए खण्डन पत्रों पर जानकारी भेजी है – जिसमें सूचित किया कि प्रश्नगत खाता नं0 282 सर्वे नं. 1580 रकवा 0-8-1 धुर भूमि राजस्व खतियान में डीह वासगीत खाता के अन्तर्गत परती कदीम करके दर्ज है जिसके 9 कब्जे कालम में जामून 1 वकब्जे राम चन्द्र पाण्डेय 9 सरह व न0 24 एक हिस्सा व राम प्रसाद पाण्डेय को0 वसरल नं0 26 एक हिस्सा भावली को वास कोढ वकब्जे राम चन्द्र पाण्डेय रैयत मजकुर भावली वे पाकड (एफ)1 वकब्जे मथुरा लाल वगै0 वसरह नं0 1576 व बच्चू लाल कौ0 वसरल नं0 1515 व मुस्कान परमेशरा कुपैर कौ0 वसरत नं0 1577च करके दर्ज है।

पंजी II में जानकारी दी कि आवेदक शम्भू नाथ के दादा स्व0 रामउग्रह गोंड के नाम से जमाबंदी सं0 336 खाता सं0 282 रकवा 0-2-13 करके दर्ज था, जिस पर बिना किसी आदेश के रकवा 0-2-13 धुर को काट कर रकवा 0-3-0 (तीन कट्ठा) बनाया गया है जिसकी सरकारी रसीद वर्ष 1961-62 में दिनांक 25-02-62 की रसीद सं0 846648 लगान 0-25 पैसा निर्गत किया गया है। वर्ष 1961-62 के बाद अन्य दूसरा रसीद निर्गत नहीं किया गया है। पंजी II के अवलोकन से यह विदित होता है कि खाता सं0 282 सर्वे नं0 1580 रकवा 0-5-8 धुर लगान 0-25 पैसा जंगनारायण दूबे के नाम से जमाबंदी सं0 337 पूर्व से चलती थी, जिसमें से रकवा 0-2-0 भूमि का दाखिल खारीज विजय बहादुर साह, अक्षयवर साह व प्रदीप साह गोंड के नाम हुआ है जिसका जमाबंदी सं0 659 पंजी II में दर्ज है तथा उसी खाता सं0 में रकवा 0-2-19-15 भूमि का दा0 खा0 वाद सं0 797/89-90 एवं 28/90 के द्वारा श्री रामाशंकर सिंह सा0 जौरा के नाम से किया गया है जिसका जमाबंदी सं0 933 पंजी II में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि रकवा 0-2-19-15 में से रामाशंकर सिंह के पुत्रों ने धरमेन्द्र यादव उर्फ टुनटुन यादव

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi
5/8/2014

पिता श्री शिव लगन यादव, ग्राम जमालपुर, थाना आन्दर के नाम से बैनामा कर दिया है और इसी भूमि पर टुनटुन यादव द्वारा गुमटी रखा गया है।

पंजी II में यह भी सूचित किया कि प्रश्नगत भूमि का कुल रकवा 0-8-1 धुर की जमाबंदी पूर्व से ही कायम थी। आवेदक के भाई नन्द कुमार साह का कथन है कि जमाबंदी सं0 339 रकवा 0-3-0 एवं जमाबंदी सं0 94 रकवा 0-3-4 धुर खाता सं0 282 जो रामउग्रह गोंड के नाम पर है, का रसीद निर्गत करने का दबाव किया जा रहा है किन्तु जाँच से स्पष्ट होता है जमाबंदी सं0 339 एवं जमाबंदी 94 रामउग्रह गोंड के नाम पर पंजी II में दर्ज नहीं है। फलस्वरूप हल्का कर्मचारी द्वारा उपरोक्त जमाबंदियों का रसीद आवेदक को निर्गत नहीं किया जा रहा है। आवेदक के दादा रामउग्रह गोंड के नाम पर जमाबंदी सं0 336 रकवा 0-3-0 भूमि पंजी II में दर्ज है जिसमें से आवेदक के चचेरे भाई (हिस्सेदार) द्वारा 0-1-0 भूमि चन्द्रिका तुरहा कौ0 को विक्री किया गया है जिसपर उनका पक्का मकान बना हुआ है।

अंचल अधिकारी, आन्दर, सीवान ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रश्नगत भूमि रकवा 0-3-0 कट्ठा ही रामउग्रह गोंड के परिवारों के बीच बटा हुआ है शेष भूमि 0-5-1 धुर भूमि पर आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य का दखल कब्जा कभी नहीं रहा है और न है। भूमि पर वैदारों का दखल कब्जा है।

1. पत्र सं0 23/2/2011 के अन्तर्गत खण्डन पत्रों पर अंचल अधिकारी, आन्दर, जिला सीवान ने जानकारी दी कि वर्ष 1957 की पंजी-II का अवलोकन किया गया, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जिसका पारगमन संभव नहीं है।

2. जमाबन्दी पंजी-II में विवादित भूमि से संबंधित जमाबन्दी सं0-336 खाता सं0 -282 रकबा-3 कट्ठा जमाबन्दी रामउग्रह गोंड के नाम से है तथा इस पर निर्गत लगान रसीद सं0 380930 दिनांक 30-03-1957, रसीद सं0 470792 दिनांक 04-03-1958 एवं रसीद सं0 358770 दिनांक 31-03-1960 अंकित है।

3. वर्ष 1957, 1980 एवं 1961 के रसीद बही के संबंध में सूचित किया है कि कथित वर्ष का निर्गत रसीद बही की कार्यालय प्रति अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। रसीद सं0 425710 दिनांक 12-10-2007 (आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित रसीद सं0 4257710 दिनांक 12-10-2006 गलत है) एवं निर्गत लगान रसीद सं0 029403 दिनांक 29-07-2008 है।

4. श्री जगनारायण दूबे से संबंधित जमाबन्दी सं0 337 (आवेदन में अंकित जमाबन्दी सं0 377 गलत है) श्री विजय बहादुर साह वगैरह के नामधारित जमाबन्दी सं0 659 एवं श्री

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi
5/8/2014

रामाशंकर सिंह वगैरह के नामधारित जमाबन्दी सं0 933 है। श्री रामशंकर सिंह के पुत्रों द्वारा श्री धर्मेन्द यादव पुत्र श्री शिवलगन यादव के नाम बैनामा किये गये।

राज्य शासन द्वारा भेजी गयी जानकारी एवं टिप्पण से प्रार्थी संतुष्ट न होते हुए असहमति प्रकट करते रहे। आयोग ने श्री शम्भू नाथ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं राज्य शासन द्वारा सूचित अभिलेखों विवरणों को जांचने के उपरान्त श्री सी. अशोक वर्धन, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट, सीवान को दिनांक 18-04-2011 को प्रकरण के संबंध में मूल दस्तावेजों के सहित श्री मोरीस कुजूर, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष बुलाने का निर्णय लिया गया। इस विषय पर श्री मोरीस कुजूर, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष दिनांक 18-04-2011 को श्री सी. अशोक वर्धन, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार उपस्थित होकर आयोग को जानकारी दी कि खाता सं0 282 सर्वे नं0 1580 शुरू से ही डिहवसकित था जो सरकारी जमीन होती है तथा नवाब एक सादे कागज पर हुकुमनामा/पट्टा देते थे तथा आजादी के उपरान्त उसी जमीन को उन्ही कागजातों के आधार पर रजि0 पट्टा जमीन पर दे दी जाती थी।

पंजी II के अनुसार आन्दर और खाता सं0 282 सर्वे सं. 1580 से संबंधित जमाबन्दी संख्या 336 आवेदक के पूर्वज दादा रामउग्रह गोंड के नाम से दर्ज है जिसमें रकबा 3 कट्ठा दर्ज थी

उक्त जमाबंदी रैयती के 3 लड़कों में से स्व0 छबीला गोंड के लड़के केदार गोंड ने अपने हिस्से की 1 (एक) कट्ठा जमीन चंद्रिकातुरहा के साथ बिक्री कर दी। जमाबंदी 336 से रकबा 1 कट्ठा घटाकर नई जमाबंदी सं. 1660 कायम की गयी। इसके अतिरिक्त केदार गोंड ने अपने हिस्से से अधिक 1 (एक) कट्ठ 2 धूर जमीन श्रीमती शीला देवी जौजे को विक्री कर दी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदक के चचेरे भाई केदार गोंड ने हिस्से से अधिक जमीन दूसरे को विक्रय कर दी जिसे रद्द करवाने हेतु आवेदक को सक्षम न्यायालय में जाना चाहिए।

पंजी II जमाबंदी संख्या 339 खाता सं. 169 रकबा 13 (तेरह) कट्ठ 9 (नौ) धुर से संबंधित है का जमाबंदी रैयत हरिहर मल्लाह के नाम दर्ज है। इस प्रकार आवेदक का दावा आधारहीन है तथा आवेदक सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है।

जयनारायण दुबे की जमीन उनके लड़के ने 1989 में बेच दिया। 1950 में बिहार रेंट रिर्फाम एक्ट बना। 1912-14 सादा हुकुमनाम चलन में रहा। संदेह का लाभ सादा हुकुमनाम के आधार पर मिला। 1956 में जमाबंदी शुरू हो गयी।

5/8/2014

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

प्रधान सचिव, राजस्व व भूमि सुधार बिहार सरकार ने यह भी सूचित किया कि राजस्व रिकार्ड में जमीन जमाबंदी सं0 336 रकवा 3 कट्ठा ही दर्ज है बाकी जमाबंदी 339 और 94 का कोई ब्यौरा नहीं है यह दूसरे खाते की जमीन है। आवेदक पक्ष के नाम जमाबंदी सं0 336 रकवा 3 कट्ठा का ही उल्लेख है। प्रधान सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदक पक्ष 6 कट्ठा 4 धूर पर काबिज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि रिकोर्ड को देखा जाएगा।

श्री शम्भूनाथ ने अपने पक्ष रखते हुए कहा कि 5 जुलाई, 2006 की जमीन जमाबंदी सं0 339 व 94 को हड़पने की शिकायत सर्किल ऑफिसर तथा अन्य अधिकारियों से करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्राथी ने कहा कि खाता संख्या 282 सर्वे 1580 रकवा 8 कट्ठा 1 धूर पर नवाबों ने 1912 से पहले आवेदक पक्ष के परदादा स्व0 श्री दमरी गोंड को बसने के लिए दिया इसलिए आवेदक पक्ष के दादा ने उस पर मिट्टी तथा पोसा का कच्चा मकान बनाया और रहने लगे। उन्होंने 1911 तथा 1912 में चौकीदारी टैक्स भी दिया चूंकि नवाबों ने मौखिक रूप से बसने को कहा था इसलिए आवेदक पक्ष के दादा स्व0 श्री राम उग्रह गोंड ने नवाबों से बिनती करते हुए रूपए 100 नजराना देकर 8 कट्ठा 1 धूर जमीन में से 5 मई, 1926 को 6 कट्ठा 4 धूर का एक पट्टा/हुकुनामा बनवा लिया और स्थायी रूप से उस जमीन पर रहने लगे।

सन् 1945 के आस-पास नवाबों ने अपनी जमीनदारी का आधा हिस्सा बाबू हरिहर प्रसाद, भागीरथी प्रसाद को बेच दिया इसलिए 6 कट्ठा 4 धूर में 3 कट्ठा 4 धूर पर उन लोगों ने अपना मलिकाना हक जताया और आवेदक पक्ष के दादा से लगान लेने लगे तो आवेदक पक्ष के दादा ने उनसे प्रार्थना करते हुए 100 रूपए देकर उनके कर्मचारी स्व0 श्री नगेशरराम से दिनांक 24-08-1948 में दरौली तहसील जाकर बैनामा करा लिया था। आवेदक पक्ष के पास 1957 से लेकर 1961 तक की लगान रसीदें हैं जो जमाबंदी संख्या 336, 339 और 94 के क्रम में लगान भरने के संबंध में है। प्रार्थी ने कहा कि आवेदक पक्ष ने आयोग के माध्यम से मांग की कि 1957 से लेकर 1961 तक की रसीद बुक पंजी-II तथा उनकी जमीन से संबंधित जो भी कागजात प्रस्तुत किए। आवेदक पक्ष का कहना है कि 6 कट्ठा 4 धूर पर वे 5 मई, 1926 से काबीज है और इसी आधार पर आवेदक पक्ष के पट्टेदारों के बीच बटवारा हुआ है और केदार गोंड ने अपने हिस्से की जमीन 2 कट्ठा बेच दी है और राजेन्द्र गोंड 2 कट्ठा पर काबिज है तथा शेष 2 कट्ठा पर आवेदक पक्ष की जमीन परती पड़ी है। इस संबंध में माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार को सलाह दी कि चूंकि यह भूमि संबंधित मामला है तथा मामला काफी पुराना है तथा इस बीच आवेदक पक्ष के परिवार में व अन्य पक्ष के परिवारों में पीढ़ियों का अन्तर हो गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि आवेदक पक्ष द्वारा उनकी भूमि के संबंध में की गयी शिकायत की गहराई से परतदरपरत

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग / National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

5/8/2014

जांच किया जाना चाहिए तथा यह कार्य राज्य शासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए

चर्चा दौरान माननीय सदस्य ने श्री शम्भूनाथ को अपना पक्ष रखने की अनुमति दी तथा उसने अपने पक्ष में कहा कि कथित भूमि से संबंधित उनके पास रसीदें हैं और उक्त भूमि पर प्रारंभ से ही उन्हें के परिवार का कब्जा बना हुआ है। किन्तु गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा षडयंत्रपूर्वक उक्त जमीन पर कब्जा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

माननीय सदस्य के पूछे जाने पर प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार एवं जिला कलेक्टर, सीवान ने आयोग के समक्ष कथित भूमि से सबंधित सभी मूल दस्तावेज पेश कर अवगत कराया कि श्री शम्भूनाथ के परिवार के नाम राजस्व रिकोर्ड में विवादित भूमि से संबंधित जमाबंधी संख्या 336 खाता संख्या सं0 282 रकबा 0-3-0 भूमि कट्ठा पंजीकरण 2 में दर्ज है जिसमें से आवेदक के चचेरे भाई (हिस्सेदार) द्वारा 0-1-0 भूमि चंद्रिका तूरहा कौ0 को बिक्री किया गया है जिस पर उसका पक्का मकान बना हुआ है।

इस प्रकरण में जिला कलेक्टर, सीवान ने आयोग के समक्ष यह भी स्पष्ट किया कि बाकी जमाबंदी 339 और 94 का कोई व्यौरा नहीं है यह दूसरे खाते के जमीन है। आवेदक का नाम जमाबंदी संख्या 336 रकबा 3 कट्ठा का ही उल्लेख है। जमाबंदी मूल दस्तावेज में विवादित भूमि से संबंधित जमाबंदी संख्या 336 खाता संख्या 282 रकबा-3 कट्ठा जमाबंदी रामउग्रह गोंड के नाम से दर्शायी गयी है। आवेदक के द्वारा रसीद बही के संबंध सूचित, कथित वर्ष का निर्गत रसीद बही मान्य नहीं है तथा जिला कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रश्नगत विवादित जमीन से विपक्ष का कब्जा हटा दिया गया है और इस समय प्रश्नगत जमीन पर कोई कब्जा नहीं है। जिला कलेक्टर को कहा गया कि इस विवादित भूमि पर जाकर मौका मुआयना करें तथा गांव में जाकर साक्षात कर वस्तुस्थिति की पूर्ण रिपोर्ट प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को देवें। इस संबंध में प्रार्थी उनके पक्ष में जो भी कागजात है उनको लेकर प्रधान सचिव से मिले। सदस्य महोदय ने प्रधान सचिव को कहा कि इस मामले में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजे।

5/8/2014

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi